**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 945/2017**

थाना कांड संख्या- 34, वर्ष- 2014, थाना- मलयपुर, जिला- जमुई से उत्पन्न

==========

साकिंदर यादव, पुत्र श्री मिश्री यादव, निवासी ग्राम- देवाचक, थाना- मलयपुर, जिला- जमुई।

.....अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

के साथ

**आपराधिक आवेदन (एसजे) सं. 2034/2017**

**में**

**आपराधिक आवेदन (डी.बी.) सं. 875/2017**

थाना कांड सं- 34, वर्ष- 2014, थाना- मलयपुर, जिला- जमुई से उत्पन्न

==========

डॉ. नागेंद्र कुमार, पुत्र- श्री उमेश प्रसाद, निवासी ग्राम- बारडीह, थाना- इस्लामपुर, जिला- नालंदा।

.....अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

भारतीय दंड संहिता की धारा 1 (डी), 201 और 120 (बी), धारा 4 पॉक्सो अधिनियम धारा 164 दंड प्रक्रिया अपील सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती है जिसकी सुनवाई और निपटारा किया जाता है। पीड़ित के पिता ने खराब स्वास्थ्य के कारण इलाज के लिए अपनी बेटी को एक चिकित्सक डॉ. बिरजू कुमार के पास भेज दिया। -अपने विद्यालय के पास इलाज के बाद अकेले लौटते समय-आरोपी ने पीड़िता को पकड़ा, उसक मुँह बंद किया-उसे विद्यालय के अंदर ले गया-बलात्कार किया-जान से मारने की धमकी दी-अगर पहचान का खुलासा हुआ-सूचक-पीड़िता के पिता इलाज के लिए-रक्त प्रशासन-उपचार चल रहा है-दोषसिद्धि पीड़ा-दुर्बलता-आक्षेपित निर्णय टिकाऊ नहीं है-कोई स्वतंत्र गवाह नहीं-डॉ. बिरजू की जांच नहीं की गई-पीड़िता की चिकित्सा जांच-बलात्कार स्थापित करने में विफल रही-शरीर में हिंसा के कोई स्पष्ट निशान नहीं-पीड़ित की उम्र का निर्धारण नहीं-निष्कर्षों में भौतिक सबूतों की कमी है-पीड़ित के बयान से संकेत मिलता है कि आरोपी उसे जबरन ले गया-और चिल्लाया। घटना-पीड़ित स्वयं घर लौट आया-कोई भी गवाह अपीलार्थी की दोषसिद्धि स्थायी नहीं थी-अपील ने अपीलार्थी को हिरासत से रिहा करने की अनुमति दी। डॉ. एन. कुमार जमानत बांड के दायित्व से मुक्त।

संदर्भः तखाजी हीराजी बनाम ठाकुर कुबरसिंग चमसिंह (2001) 6 एस.सी.सी. 145

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 945/2017**

थाना कांड संख्या- 34, वर्ष- 2014, थाना- मलयपुर, जिला- जमुई से उत्पन्न

==========

साकिंदर यादव, पुत्र श्री मिश्री यादव, निवासी ग्राम-देवाचक, थाना-मलयपुर, जिला जमुई।

.....अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

के साथ

**आपराधिक आवेदन (एसजे) सं. 2034/2017**

**में**

**आपराधिक आवेदन (डी.बी.) सं. 875/2017**

थाना कांड सं- 34, वर्ष- 2014, थाना- मलयपुर, जिला- जमुई से उत्पन्न

==========

डॉ. नागेंद्र कुमार, पुत्र- श्री उमेश प्रसाद, निवासी ग्राम-बारडीह, थाना- इस्लामपुर, जिला- नालंदा।

.....अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

**उपस्थिति:**

(आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 945/2017 में)

अपीलार्थी के लिएः श्री अशोक कुमार झा, अधिवक्ता

श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिएः श्री अभिमन्यु शर्मा, ए.पी.पी

(अपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 875/2017 में)

अपीलार्थी के लिएः श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता

श्रीमती वैष्णवी सिंह अधिवक्ता,

प्रतिवादी के लिएः श्री अभिमन्यु शर्मा, ए. पी. पी

==========

**गणपूर्तिः माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधीर सिंह**

**और**

**माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश सिंह**

**सी.ए.वी. निर्णय**

**(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह)**

**दिनांक: 14.07.2023**

अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों/अधिवक्तओ और राज्य के विद्वान वकीलों/अधिवक्तओ को सुना।

2. आपराधिक अपीलें दोषसिद्धि के सामान्य निर्णय और सजा के आदेश से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनकी सुनवाई एक साथ की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया गया है।

3. मलयपुर थाना कांड संख्या 34/2014 से उत्पन्न पॉक्सो कांड संख्या 16/2015 के अनुरुप सत्र विचारण सं.247/2015 में श्री राजेश कुमार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 29.06.2014 के खिलाफ दोनों आपराधिक अपीलें दायर की गई है। जिसके तहत अपीलकर्ता सकींदर यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी), 201 और 120 (बी) (आई. पी. सी. को संदर्भित) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गय है और अपीलकर्ता डॉ. नागेंद्र कुमार को आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया है। अपीलार्थी साकिंदर यादव को आई.पी.यी.की धारा 376(डी) के तहत अपराध के लिए 20 साल के कठोर कारावास और 50,000/-रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है तथा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए और चूक करने पर 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपीलार्थी सकिंदर यादव को आई.पी.सी. की धारा 120 बी के तहत कोई अलग सजा नहीं दी गई है। आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत यादव अपीलार्थी साकिंदर यादव की सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है। अपीलार्थी डॉ. नागेंद्र कुमार को आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए 3 साल के कठोर कारावास और 20,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान न करने पर छह महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

4. अभियोजन पक्ष का मामला, वादी/सूचक संजय तांती (पी. डब्ल्यू. 5) के फर्दबयान के अनुसार, श्रीमती राज रंजनी कुमारी (पीडब्लू. 6), महिला पुलिस स्टेशन, जमुई

की स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा दर्ज किया गया,, लगभग 10:00 बजे दोपहर में जमुई के सदर अस्पताल में कहा गया कि 28.10.2014 को, बीमारी के कारण, उन्होंने अपनी बेटी (पीडिता पी.डब्लू4) को इलाज के लिए डॉ. बिरजू के पास भेजा। कहते है कि पीड़ित पिछले तीन-चार दिनों से बीमार थी, वादी पीड़िता को डॉ. बिरजू के पास भेजता था। 28.10.2014 को, पीड़िता डॉक्टर से इंजेक्शन लेकर अकेली लौट रही थी और जब वह स्कूल के पास पहुंची तो उसी ग्राम के आरोपी सकलदेव यादव ने पीड़िता को रुकने के लिए कहा, फिर पीड़िता ने पूछा कि क्या कारण है, तो सकलदेव यादव पीड़िता के पास आया और उसे पकड़ लिया और उसके बाद ललन यादव, गोरेलाल यादव और सिकंदर यादव (आपराधिक अपील(डीबी) सं. 945/2017 में अपीलकर्ता), जो स्कूल के पीछे छिपे हुए थे, सभी देवचक गाँव के, ने वादी की बेटी को पकड़ लिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे स्कूल के अंदर ले गए, जहां उन सभी ने वादी की बेटी के साथ बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता को उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। कहा गया कि घटना 28.10.2014 10:00 बजे सुबह में हुई थी। वादी ने यह भी कहा कि अभियुक्तगण पीड़ित को इलाज के लिए जमुई ले गए और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि वादी की बेटी को खून चढ़ाया जाए। वादी ने आगे कहा कि चूंकि छठ पर्व उनके द्वारा किया गया था, जिसके कारण उन्हें घटना का एहसास नहीं हो सका और उनकी बेटी ने भी उन्हें घटना के बारे में नहीं बताया था। जब वादी की बेटी की हालत बिगड़ गई और उससे पूछताछ किया गया, तो उसने वादी और उसकी माँ को लगभग 03:00 बजे दोपहर में, 01.11.2014 को घटना के बारे में बताया। इसके बाद, वादी पीड़िता को जमुई अस्पताल में इलाज के लिए ले गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा था।

5. वादी के उपरोक्त फर्दबयान के आधार पर औपचारिक एफ. आई. आर. तैयार किया गया और मलयपुर थाना कांड सं. 34/2014 दर्ज किया गया। जाँच के बाद, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद संज्ञान लिया गया। इसके बाद, अपीलार्थियों के

खिलाफ आरोप तय किए गए, जिन पर अपीलार्थियों ने दोषी नहीं बताया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

6. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल आठ गवाहों से पूछताछ की, जिनमें उर्मिला देवी (पीडब्लू. 1), हिरिया देवी (पीडब्लू. 2), रेखा देवी (पीडब्लू. 3), पीड़ित (पीडब्लू. 4), संजय तांती-वादी (पीडब्लू. 5), राज रंजनी (पीडब्लू. 6), डॉ. वीणा सिंह (पीडब्लू. 7), डॉ. राजेश कुमार (पीडब्लू. 8) और डॉ. अरविंद कुमार (पीडब्लू. 9) शामिल हैं। अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श 1 (धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत बयान पर पीड़िता के हस्ताक्षर), प्रदर्श 2 (जब्ती सूची), पी.डब्लू. 3 (औपचारिक एफ.आई.आर.), प्रदर्श 4 (चिकित्सा प्रतिवेदन), प्रदर्श 5 (ललन यादव की जख्म प्रतिवेदन), प्रदर्श 6 (डॉ. अरविंद कुमार द्वारा पीड़ित की आयु निर्धारण प्रतिवेदन) के रूप में भी प्रदर्शों को प्रस्तुत किए हैं। बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। बचाव पक्ष ने प्रदर्श ए (अभियुक्त सकिंदर यादव की जख्म प्रतिवेदन) के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। मुकदमे के निष्कर्ष के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को उपरोक्त बताए गए तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्धि का निर्णय कई दुर्बलताओं से ग्रस्त है जिन्हें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है, और इसलिए, आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। यह बताया गया है कि व्यापक रूप से मनाए जाने वाले छठ पर्व के दौरान एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में कथित बलात्कार होने के गंभीर आरोप के बावजूद, घटना की पुष्टि करने के लिए स्वतंत्रता गवाहों की कमी है। त्योहार के दौरान गाँव में लोगों की महत्वपूर्ण आमद ऐसे गवाहों की अनुपस्थिति के बारे में संदेह पैदा करती है। इसके अलावा, यह उजागर किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि घटना के समय, पीड़ित, डॉ. बिरजू से इंजेक्शन लेने के बाद, घर लौट रही थी। हालाँकि, डॉ. बिरजू से स्वयं इस मामले में गवाह के

रूप में पूछताछ नहीं की गई है, जो मुकदमे की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। अपीलार्थियों के वकील ने आगे तर्क दिया कि पीड़िता की चिकित्सीय जांच बलात्कार के अपराध की पुष्टि करने में विफल रही है। वे शुक्राणु की अनुपस्थिति, गर्भावस्था परीक्षण के नकारात्मक परिणामों और डॉक्टर का बयान योनि में सूजन या लालिमा की कमी का संकेत देता है, जो आमतौर पर सामूहिक बलात्कार के मामलों में देखे जाते हैं। इसके अलावा, पीड़िता के शरीर पर हिंसा के कोई स्पष्ट निशान नहीं हैं। इसके अलावा, यह आरोप लगाया जाता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 34 (2) के अनुसार पीड़ित की उम्र का निर्धारण न करने से मामले में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अपीलार्थियों के वकील ने तर्क दिया कि इस चूक ने पीड़ित पर लागू उचित कानूनी प्रावधानों को स्थापित करने की अभियोजन पक्ष की क्षमता को कमजोर कर दिया है। अपीलार्थी डॉ. नागेंद्र कुमार के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए सबूतों की कमी है। किसी भी गवाह ने डॉक्टर की पहचान की गवाही नहीं दी है, और पीड़ित के कथित चिकित्सा परीक्षण का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त सामग्री प्रमाण(साक्ष्य) है। इन तर्कों के आधार पर, अपीलार्थियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में भौतिक साक्ष्य, तर्क और योग्यता का अभाव है। इसलिए, दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय को रद्द /दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. पी. पी. ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम रहा है, और इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्योंयों पर भरोसा करके अपीलार्थियों को सही तरीके से दोषी ठहराया है। यह तर्क दिया गया है कि गवाहों की गवाही में मामूली विरोधाभास और भिन्नताएं उनके साक्ष्य को समग्र रूप से खारिज करने का आधार नहीं हो सकती हैं।

इसलिए, इस अपील में दिए गए निर्णय और आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील को खारिज किया जा सकता है।

9. अभिलेख का अवलोकन करने और पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद, इस अपील में विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैंः .

(I) घटना के स्थान और घटना के समय को ध्यान में रखते हुए, क्या गांव के मध्य में स्थित स्कूल में छठ पर्व के दौरान सुबह 10 बजे स्कूल के प्रथम तल (बरामदा)पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोप पर अभियोजन की और से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर विश्वास किया जा सकता है?

(II) क्या पीड़ित की चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन पीड़ित (पीडब्लू4) के बयान का समर्थन करती है?

(III) क्या आयु के संबंध में पॉक्सो अधिनियम की धारा 34 (2) के अनुसार आयु का निर्धारण न होने से निष्पक्ष सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

(IV) क्या डॉ. नागेंद्र कुमार द्वारा चिकित्सा परीक्षण से संबंधित दस्तावेज़ को प्रस्तुत न करने से अपीलकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

10. मुद्दा सं. 1 से निपटने के लिए। दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत पीड़ित के बयान पर विचार करना प्रासंगिक है, जिसने स्कूल की पहली मंजिल के रूप में घटना स्थल की सटीक पहचान की थी। इसके अलावा, कंडिका 7 में पीडब्लू 4 और कंडिका 12 में पीडब्लू 5 दोनों बताते है कि स्कूल और सड़क के बीच कई घर स्थित हैं। विशेष रूप से, पीडब्लू 2 ने अपने बयान के कंडिका 10 में अनुमान लगाया है कि लगभग 900 घर स्कूल और पीड़ित के निवास के बीच स्थित हैं, इन घरों से स्कूल की स्पष्ट दृश्यता है। इसके अलावा, कंडिका 1 में फर्दबयान और पीड़िता (पीडब्लू4) की गवाही से यह स्थापित होता है कि घटना सुबह लगभग 10 बजे हुई थी। कंडिका 12 में पीड़ित (पीडब्लू4) आगे इस बात पर

प्रकाश डालता है कि सर्दियों के मौसम में, ग्रामीण धूप सेंकने के लिए छतों और सड़कों के किनारे इकट्ठा होते हैं। ये प्रासंगिक विवरण स्थिति की हमारी समझ और कथित घटना की संभावित दृश्यता में योगदान करते हैं। फरदबेयान, धारा 164 फर्दबयान, दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान, और पीड़िता का बयान सभी इंगित करते हैं कि आरोपी उसे जबरन स्कूल की पहली मंजिल पर ले गया जहां वह घटना के दौरान चिल्लाई और रोयी। कंडिका 1 में पीडब्लू 5 और कंडिका 1 में पीडब्लू 4 की गवाही से यह प्रतीत होता है कि पीड़िता स्वयं घर लौट आई थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह समीचीन प्रतीत होता है कि इस घटना से संबंधित किसी भी चीज का गवाह एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह पुष्टि करते हुए गवाही दी है कि पीड़िता कथित घटना से पहले डॉ. बिरजू के आवास पर गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि न तो जांच अधिकारी (कंडिका 7 में पीडब्लू 6) और न ही अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की उक्त डॉक्टर से भेंट और विशिष्ट समय और घटना से संबंधित अन्य प्रासंगिक सबूतों की पुष्टि के लिए डॉ. बिरजू से पूछताछ करने की कोई पहल की है। इस संदर्भ में, **(2001) 6 एससीसी 145** में रिपोर्ट किए गए **तखाजी हिराजी बनाम कुबेरसिंग चमनसिंग** के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना जरुरी हो जाता है, जिसमें कंडिका 19 में, यह देखा गया है कि एक भौतिक गवाह की गैर-परीक्षा, जो आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकता है या अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों को भर सकता है, अदालत को अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालाँकि, यदि भारी सबूत पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, अतिरिक्त गवाहों की गैर-पूछताछ महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में, अदालत को पहले से प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्य की जांच करनी चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रश्नगत गवाह उपलब्ध था लेकिन रोक दिया गया था। इसलिए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल राय बनाई जा सकती है क्योंकि इस मामले में कोई स्वतंत्रता गवाह

नहीं है, भले ही घटना के कथित स्थान से पीड़ित के घर तक कई घर हैं, इसके अलावा जहां घटना छठ पूजा के दौरान सुबह 10 बजे दिन के उजाले में हुई थी। इस प्रकार, घटना के कथित समय और स्थान के अनुसार, बलात्कार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

तदनुसार, सं. 1 का निर्णय नकारात्मक तय किया जाता है।

11. मुद्दा सं. II के संदर्भ में पीड़िता (पीडब्लू4) द्वारा दिए गए बयान और डॉ. वीणा सिंह (पीडब्लू7) द्वारा की गई चिकित्सा जांच प्रतिवेदन के मूल्यांकन में कई प्रमुख बिंदु सामने आते हैं। कंडिका 7 में पीडब्लू 7 कहता है कि कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकती है। यह इंगित करता है कि चिकित्सा प्रतिवेदन बलात्कार के अपराध का निर्णायक सबूत प्रदान नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान देने योग्य है कि चिकित्सा प्रतिवेदन पीड़ित के शरीर पर हिंसा के कोई भी स्पष्ट निशान दिखाई नहीं देता है। यह पीड़िता के धारा 164 के बयान के विपरीत है जिसमें उसने चिल्लाने और रोने का उल्लेख किया है, घटना के रुप के रूप में व्याख्या की जा सकती है। चिकित्सा परीक्षण प्रतिवेदन में हिंसा के निशान की अनुपस्थिति पीड़िता के बयान की निरंतरता पर सवाल उठाती है। इसके अलावा, कंडिका 11 में जांच अधिकारी (पीडब्लू 6) ने कहा कि पीड़िता पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए। यह अवलोकन प्रतिवेदन में हिंसा के दृश्यमान संकेतों की अनुपस्थिति के अनुरुप है। इसके अलावा, कंडिका 9 में पीडब्लू 7 में कहा गया है कि सामूहिक बलात्कार के मामलों में, आमतौर पर योनि में सूजन और लालिमा होती है, जो इस विशेष मामले में मौजूद नहीं थी। यह पीड़ित की गवाही और अभिलेख पर चिकित्सीय साक्ष्य के बीच संबंध को और कमजोर कर देता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पीड़िता की नेत्र संबंधी गवाही उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होती है। इस बिंदु पर, **राम नारायाण सिंह बनाम पंजाब राज्य और अमा सिंह एवं अन्य बनाम् पंजाब राज्य (1975) 4 एससीसी 497** में रिपोर्ट किए गए के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण मिसाल पर विचार करना जरुरी है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नेत्र संबंधी

और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच असंगति अभियोजन मामले में एक मौलिक दोष है, और जब तक उचित रूप से समझाया नहीं जाता है, यह पूरे मामले को बदनाम करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, इस तरह की भौतिक विसंगति के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, अभियोजन पक्ष के मामले में एक मौलिक दोष उत्पन्न होता है, और इस तरह, अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे घटना के तरीके को साबित करने में विफल रहा है। वर्तमान मामले में, हिंसा, चोटों और यौन उत्पीड़न के विशिष्ट संकेतों की अनुपस्थिति, जैसा कि चिकित्सा विशेषज्ञों और जांच अधिकारी द्वारा नोट किया गया है जो, पीड़ित के बयान की सत्यता पर संदेह पैदा करता है।

तदनुसार मुद्दा, सं. II को भी नकारात्मक तय किया जाता है।

12. मुद्दा सं. III के संदर्भ में यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि क्या पीड़ित की उम्र के संबंध में दृढ़ संकल्प की कमी मुकदमे को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करेगी। विशेष रूप से, अदालत ने स्वयं किसी भी सहायक दस्तावेज के माध्यम से पीड़िता की उम्र की जांच नहीं की। **(2013) 7 एस.सी.सी. 263** में प्रतिवेदन किए गए **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक घोषणा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 34 (2) में 'व्यक्ति' शब्द में न केवल वह बच्चा शामिल है जिस पर अपराध करने का आरोप है, बल्कि वह बच्चा भी है जो अपराध का शिकार है। 'व्यक्ति' शब्द का सावधानीपूर्वक उपयोग करने के पीछे के विधायी आशय को 'पीड़ित बच्चे' को भी शामिल करने के लिए 'बच्चे' शब्द की व्यापक तरीके से व्याख्या करके उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, पॉक्सो अधिनियम की धारा 34 (2) विशेष न्यायालय पर सकारात्मक कर्तव्य डालती है कि वह दर्ज किए गए कारणों से खुद को संतुष्ट करे कि 'व्यक्ति' बच्चा है या नहीं। पीड़ित बच्चे के अल्पसंख्यक पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले को आगे बढ़ाने के लिए होने की पुष्टि करना एक शर्त है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, कथित घटना के समय पीड़िता बच्चा था या नहीं, इस बारे में विद्वान विचारण

न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। इस तरह की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन न करना न्याय की विफलता के बराबर है और लाभ निश्चित रूप से अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए।

तदनुसार, मुद्दा सं. III को सकारात्मक तय किया जाता है।

13. मुद्दा सं. IV से निपटने के मान लेते हैं कि सूचक ने आरोपी के प्रभाव में डॉ. नागेंद्र कुमार द्वारा पीड़िता की चिकित्सा जांच के संबंध में फर्दबयान में किसी भी बयान का उल्लेख नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, पीड़िता की माँ (कंडिका 3 में पीडब्लू 3) ने भी किशोर न्याय बोर्ड में कार्यवाही के दौरान डॉ. नागेंद्र कुमार के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, जिसमें एक अन्य आरोपी शामिल था। इस बयान से पता चलता है कि कानूनी कार्यवाही के शुरुआती चरण से मामले में डॉ. नागेंद्र कुमार की भागीदारी का कोई उल्लेख या स्वीकृति नहीं है। इसके अलावा, पीडब्लू3 का यह भी कहना है कि उनके पास डॉ. नागेंद्र की कोई डॉक्टर की पर्ची नहीं है, जो चिकित्सा जांच के लिए सहायक सबूत के रूप में काम कर सकती थी। इसके अलावा, पीड़िता सहित सभी अभियोजन पक्ष के गवाह डॉक्टर की पहचान करने में विफल रहे। इस बिंदु पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पलविंदर कौर बनाम् पंजाब राज्य** के मामले में **(1952) 2 एससीसी 177** में दर्ज की गई महत्वपूर्ण मिसाल पर विचार जरुरी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत आरोप स्थापित करने के लिए केवल संदेह या विश्वास पर्याप्त नहीं है। निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता को केवल संदेह के आधार पर खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए, चाहे उनकी ताकत कुछ भी हो, और केवल तभी वंचित किया जा सकता है जब किसी अपराध का निश्चित प्रमाण हो। इस प्रकार, सहायक दस्तावेजों की अनुपस्थिति, गवाहों के बयानों में विसंगतियां और डॉ. नागेंद्र की पहचान की कमी डॉ. नागेंद्र द्वारा पीड़ित की चिकित्सा जांच की विश्वसनीयता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है।

तदनुसार, मुद्दा सं. IV को सकारात्मक रूप में तय किया जाता है।

14. उपरोक्त बनाए गए मुद्दों पर प्राप्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष कानून के तहत आवश्यक पर्याप्त सामग्री साक्ष्य प्रस्तुत करके सभी उचित संदेहों से परे अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

15. इसलिए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। दोनों आपराधिक अपीलें स्वीकार की जाती हैं और मलयपुर पी.एस.कांड सं.34/2014 से उत्पन्न 2015 के पोक्सो कांड सं.16/2015 में श्री राजेश कुमार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 1 (प्रथम) जमुई द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा का आदेश दिनांक 29.06.2017 को रद्द किया जाता है।

16. चूंकि आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 945/2017 का अपीलार्थी सकिंदर यादव जेल हिरासत में है, इसलिए उन्हें किसी अन्य मामले में वांछित नहीं होने पर तुरंत हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 875 के अपीलार्थी डॉ. नागेंद्र कुमार जमानत पर हैं, उन्हें अपने जमानत बदपत्र के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है।

**(सुधीर सिंह, न्यायमूर्ति)**

**(चंद्र प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)**

नरेंद्र/-

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।